विचार बिन्दु

घर का मोह कायरता का दूसरा नाम है। –अज्ञात

आरक्षण के चक्रव्यूह में देश कब तक फंसा रहेगा।

सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से दिनांक 01.08.2024 का निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 न्यायाधीश निर्णय में एक मत थे, उनमें सीजेआई डीवाई चन्द्रचूड़, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मिथल थे और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी का निर्णय अलग था। इस निर्णय में जो निर्णय 6 न्यायाधीशों का है उन्होंने यह माना है कि राज्यों को एससी एसटी की सब कैटेगरी तय करने का अधिकार है। पीठ के चार जजों ने एससी में भी क्रीमीलेयर लागू करने की बात कही है। वस्तुत: जस्टिस बी आर गवई ने अपने फैसले में उक्त बात लिखी है और शेष तीन जजों ने जिनमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मिथल व जस्टिस सतीश चंद व जस्टिस गवई के निर्णय से सहमति अभिव्यक्ति की है। जस्टिस गवई ने अपने निर्णय में कहा है कि राज्यों को ओबीसी की भांति एससी एसटी (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति) क्रीमीलेयर की पहिचान करनी चाहिये। इसका अर्थ है आरक्षण का फायदा पा चुके व्यक्तियों को बाहर कर, जो अति वंचित रह गये हैं, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये। जस्टिस गवई से भिन्न इसी बात को जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा ने कहा है कि अगर परिवार में किसी भी पीढ़ी ने रिजर्वेशन (आरक्षण) का लाभ पा लिया है तो दूसरी पीढ़ी को यह लाभ नहीं मिलना चाहिये।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि सुप्रीम कोर्ट की उक्त संविधान पीठ (सात न्यायाधीश) के समक्ष यह प्रश्न निर्णित किया जाना था कि क्या राज्यों की एससी-एसटी की सब कैटेगरी बनाने का अधिकार प्राप्त है? यह भी उल्लेखनीय तथ्य था कि कोटा तय करते समय हिस्सेदारी का पूरा डेटा होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि सराकर के पास पर्याप्त डेटा है तो उस कैटेगरी (श्रेणी) बनाई जा सकती है। इस प्रकार अन्तिम छोर पर जो गरीब है, उसे भी न्याय मिल सकेगा। इस प्रक्रिया से यानी सब कोटा की पहिचान से सबसे ज्यादा लाभ पिछडी जातियों को प्राप्त होगा।

उपरोक्त जो विश्लेषण किया गया है, इसके माध्यम से जो लिखा है वह यह स्पष्ट करता है कि संविधान पीठ के समक्ष जो प्रश्न था वह केवल इतना ही था कि क्या 'राज्यों को एससी-एसटी की सब कैटेगरी तय करने का अधिकार है'। यदि पीठ सब कैटेगरी के राज्य के अधिकार को मान लेती है तो इससे यह प्रभाव होगा कि बड़ी पीठ (सात जजों की पीठ) ने पूर्ववर्ती 5 जजों की संविधान पीठ के निर्णय को जो उसने ई वी चिन्नैया के मामले में सन् 2004 में दिया था, उसे निरस्त कर दिया है। 2004 के इस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने यह तय किया था कि 'एससी-एसटी के आरक्षण के लिये सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती'। 1 अगस्त 2024 के निर्णय का प्रभाव Prospective होगा।

प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या 2024 के निर्णय से देश के दलितों को अपरिमित हानि हुई और यह नया निर्णय किया जाना अपरिहार्य था, देश के दलितों के हित में किया जाना अति आवश्यक था।

दिनांक 01 अगस्त, 2024 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है, इससे उस जाति के लोगों को आरक्षण मिलेगा तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से अधिक पिछडे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा था वर्गीकरण का आधार पिछड़ेपन और सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व व मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर करना चाहिये न कि किसी राजनीतिक लाभ प्राप्ति हेतु।

दिनांक 01 अगस्त, 2024 के निर्णय के बाद इस पर राजनीतिक पार्टियों व राजनीति के विद्वानों आदि की अलग-अलग प्रतिक्रियायें देखने को मिली हैं।

एससी-एसटी वर्ग के सांसदों ने प्रधानमंत्री से कहा है कि उनके समाज को आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है अपितु उसका आधार छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक सुधार पर है, फलस्वरूप यह विषय क्रीमीलेयर का नहीं है। भाजपा के दलित व आदिवासी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर मांग की है कि क्रीमीलेयर को लागू न करें। मोदी ने उनकी बात मान ली है। केबीनेट ने भी उस पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। केन्द्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एससी-एसटी में कोई क्रीमीलेयर प्रावधान नहीं है।

ऐसा कहा गया है कि एससी-एसटी में आरक्षण में वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरएसएस को भी पसंद आया है।

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करना है और उसे सामान्य वर्ग को देना है। मायावती आरक्षण में किसी भी तरह के वर्गीकरण के विरूद्ध है।

इन्द्रा साहनी के बाद आरक्षण को लेकर कई संविधान पीठों के निर्णय हो चुके हैं, किन्तु आरक्षण का चक्रव्यूह अभी तक टूट नहीं पाया है। प्रत्येक निर्णय के बाद नया विवाद खड़ा हो जाता है। 2024 के निर्णय के बाद कई नये नये विवाद उत्पन्न होंगे इसमें कोई शंका नहीं है।

डा. विजय सोनकर शास्त्री जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के चेयरमैन रहे हैं और सांसद भी रहे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के फैसले को ऐतिहासिक कहा है। इससे आरक्षण से वंचित रही जनजाति को भी लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि देश में एससी व एसटी की आबादी 22.5 प्रतिशत है, यदि यह वर्ग विकास में पीछे रह गया तो देश पिछड़ जायेगा। डा. शास्त्री ने कहा दलितों की कुल 1208 जातियों और 10 हजार उपजातियां हैं, इस स्थिति में वर्गीकरण करना चुनौती पूर्ण है।

कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप एससी-एसटी श्रेणियों के मध्य एक राजनीतिक लड़ाई जन्म लेगी।

राजेन्द्र भानावत पूर्व आईएएस अधिकारी ने राष्ट्रदूत के अतिथि सम्पादकीय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक क्रान्तिकारी कहा है। भानावत जी का मानना है कि यह निर्णय धरातल पर लागू नहीं हो पायेगा।

दिनांक 1 अगस्त, 2024 के निर्णय के दो भाग स्पष्ट हैं। एक भाग में सीजेआई चन्द्रचूड का आदेश है जो उन्होंने जस्टिस बेला त्रिवेदी के अलावा शेष जजों और अपनी ओर से लिखा है, जिसका सार है 'कोटे में कोटा' हो सकता है, राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वे एससी-एसटी वर्ग में शामिल समुदायों के लिये आरक्षित कोटे में से पिछडेपन के आधार पर कोटा तय करें। वहीं जस्टिस गवई ने माना है कि क्रीमीलेयर को एससी-एसटी पर भी लागू करें। वर्तमान में ओबीसी आरक्षण में वार्षिक आठ लाख रूपये कमाने वाले क्रीमीलेयर में आते हैं।

अधिकांश लोग यह मानते हैं कि ईवी चिन्नैया बनाम आन्ध्रप्रदेश के केस का 2004 का निर्णय 01.08.2024 के निर्णय से Over Rule हो गया है। 2004 के निर्णय में 5 जजों की पीठ ने यह माना था कि आरक्षित कोटे में सब कैटेगरी नहीं हो सकती। क्रीमीलेयर के विषय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। क्रीमीलेयर का विवाद न तो 2004 के निर्णय का विषय था और न ही 2024 के निर्णय के विषय का ही भाग था। यह विषय जस्टिस गवई के निर्णय का भाग है। जस्टिस गवई का निर्णय जिसका समर्थन जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस सतीश चन्द्र और जस्टिस विक्रम नाथ ने किया है। चूंकि क्रीमीलेयर का विषय रेफरेंस का विषय नहीं है अत: 2004 के निर्णय को वह निरस्त नहीं कर सकता।

सन् 2004 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानता है कि आरक्षण की कैटेगरी में उप कैटेगरी नहीं हो सकती और 01 अगस्त 2024 का निर्णय घोषणा करता है कि कैटेगरी में सब कैटेगरी हो सकती। कुछ विद्वान कहते हैं कि निर्णय से भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। यह भी कहा जा सकता है कि पर्याप्त आंकडों के तथा विश्लेषण व विवेचना के उपवर्गीकरण संभव ही नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष खडके का आरोप है कि भाजपा क्रीमीलेयर के आधार पर आरक्षण ही खत्म करना चाहती है जबकि आरक्षण उस समय तक चालू रहना चाहिये जब तक छुआछूत का पाप समाप्त नहीं हो जाता। खडके ने पीएम मोदी के उस कथन का घोर विरोध किया है जब पीएम ने कहा था कि संविधान में क्रीमीलेयर का कोई प्रावधान नहीं है ओर सरकार क्रीमीलेयर लागू नहीं करेगा। खडके का कहना है कि भाजपा/एनडीए को अपने कथन के अनुसार संसद में अधिनियम लाकर ही ऐसा करना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 01.08.2024 के निर्णय के अनुसार कोटे में कोटा हो सकता है किन्तु उसका क्रियान्वयन कठिन है तथा पर्याप्त आंकडों व विश्लेषण व विवेचना के यह सम्भव नहीं है। जहां तक क्रीमीलेयर के आधार पर आरक्षण का प्रश्न है, और दिनांक 01.08.2024 के निर्णय से इसका संबंध है निम्नलिखित कुछ आपत्ति विचारणीय हैं:-

1) 2004 के सुप्रीम कोर्ट का कोई संबंध क्रीमीलेयर के विषय से नहीं है और न उस रेफरेंस से है जिसके Determination के लिये केस को 7 जजों की पीठ को भेजा गया था।

2) दिनांक 01.08.2024 का मूल निर्णय वह है, जो निर्णय सीजेआई चन्द्रचूड़ ने अपने 5 अन्य जजों के साथ दिया है, जिसका सार है कोटे में कोटा हो सकता है और उप वर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार का है।

3) जस्टिस गवई के निर्णय में क्रीमीलेयर का उल्लेख है। इस निर्णय के अनुसार यह माना गया है कि एससी व एसटी में भी ओबीसी की भांति क्रीमीलेयर के सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिये। हाँ जस्टिस गवई के निर्णय का समर्थन अन्य तीन न्यायाधीशों ने भी किया है, किन्तु यह अलग निर्णय है और रेफरेन्स की सीमा में नहीं है अत: इसका कोई संबंध 2004 के निर्णय को Over Rule करने से नहीं है।

4) पीएम मोदी व उनकी सरकार ने एससी-एसटी में क्रीमीलेयर के सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। स्वयं पीएम मोदी ने दलित व आदिवासी सांसदों की मांग को स्वीकार किया है। यह मोदी का वायदा है। अत: इस विषय पर चर्चा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्गीकरण का आधार पिछडेप़न और सरकारी नौकरी में प्रतिनिधत्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकडों के आधार पर करना होगा, न कि राजनीतिक लाभ के आधार पर।

इन्द्रा साहनी के बाद आरक्षण को लेकर कई संविधान पीठों के निर्णय हो चुके हैं, किन्तु आरक्षण का चक्रव्यूह अभी तक टूट नहीं पाया है। प्रत्येक निर्णय के बाद नया विवाद खडा हो जाता है। 2024 के निर्णय के बाद कई नये नये विवाद उत्पन्न होंगे इसमें कोई शंका नहीं है। संविधान पीठों के गठन पर अंकुश लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। सन् 1994 के बाद 2192 केसेज का निस्तारण हो चुका है, फिर भी 50 केस अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। लेखक का अपना विचार है कि संविधान पीठ के निर्णय को उसी समय Over Rule करना चाहिये जब निर्णय के कारण जनता के अधिकारों का हनन हो रहा हो। विचारों की भिन्नता मात्र निर्णय को पलटने का कारण नहीं होना चाहिये।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

शिक्षकों के बिना कौशल विकास

प्रो. अशोक कुमार

रोजगार के लिए युवाओं के कौशल विकास के नाम पर किए जा रहे नित नए दावों के बीच हकीकत यह है कि विभिन्न संस्थानो में पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को पढाने के लिए शिक्षक तक नहीं है । विभिन्न संस्थानो ने कहा कि उन्होने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कौशल विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों से सामने कई बार अपनी परेशानी रख चुके हैं। शिक्षक की मांग करते हुए पत्र लिख चुके हैं लेकिन हमें जवाब दे दिया जाता है कि जल्दी ही भर्ती की जाएगी । किसी तरह घंटे के आधार पर शिक्षकों को पढाने के लिए बुलाया जा रहा है जिससे विद्यार्थी थोडा बहुत कुछ सीख पाए। इस शिक्षकों को पैसे भी संस्थान अपनी ओर से दे रहा है। दाखिले ऑनलाइन किए जा रहे हैं और बाद में विद्यार्थी पढने आते हैं तो उन्हें परेशानी समझ में आती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सिखाने-पढाने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सभी तरह की साधन सामग्री उपलब्ध नहीं है और जहां पर साधन सामग्री उपलब्ध है लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए यह सिखाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। न प्रशासन कई वर्षों से कह रहा है कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन के द्वारा यह कदम कब उठाए जाएंगे और जो विद्यार्थी इन विषयों मे बिना पढे ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं, क्या वह रोजगार के लिए उपयुक्त होंगे?

स्नातक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन शिक्षकों के अभाव में इन कार्यक्रमों को चलाना कई कारणों से चिंताजनक है:-

चिंता के कारण : विषय विशेषज्ञ शिक्षक न होने से छात्रों को गहराई से समझ नहीं मिल पाती है। कई कौशल विकास कार्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे बिना अनुभवी शिक्षकों के करना मुश्किल होता है। शिक्षकों के अभाव में कार्यक्रमों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होती है। शिक्षकों के अभाव में छात्रों का रुझान इन कार्यक्रमों से कम हो सकता है। बिना शिक्षकों के कार्यक्रम की सफलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

संभावित समाधान : विषय विशेषज्ञ अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड में विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो लेक्चर और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। छात्रों को एक-दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मौजूदा शिक्षकों को कौशल विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है ।

क्या करना चाहिए : विश्वविद्यालय प्रशासन इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दे और उपरोक्त सुझावों को लागू करने के लिए कदम उठाए। शिक्षक संघ इस मुद्दे को उठाकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाएं। छात्र संघ इस मुद्दे को छात्रों के बीच उठाएं और विश्वविद्यालय प्रशासन से समाधान की मांग करें। इस मुद्दे को मीडिया के सामने लाएं ताकि जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित हो।

निष्कर्ष:- स्नातक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन बिना शिक्षकों के इन कार्यक्रमों को चलाना उचित नहीं है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी पक्षों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर
विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष
राजस्थान विश्वविद्यालय

किशनगढ़ बास से खैरथल तक 10 किलोमीटर की निकाली तिरंगा यात्रा

किशनगढ़ बास/खैरथल, (निसं)। आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत आमजन में देशभक्ति का जज्बा पैदा भरने के उद्देश्य से किशनगढ़ बास के बंबोरा घाटा हनुमान मंदिर से खैरथल तक 10 किलोमीटर की तिरंगा बाइक यात्रा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जल वायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व विधायक रामहेत यादव सहित भाजपा नेताओं की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने खैरथल में आयोजित विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

खैरथल में तिरंगा यात्रा रथ में सवार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पूर्व विधायक रामहेत सतीश यादव व अन्य थे।

किशनगढ़ बास के घाटा बंबोरा हनुमान मंदिर से खैरथल के लिए प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हनुमान मंदिर में श्री भगवान राम और हनुमान जी के दर्शन कर ढोक लगाई और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश व जिले की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मंत्री ने तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की और तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रीय एकता व देश भक्ति का संदेश दिया।

तिरंगा यात्रा रथ में सवार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पूर्व विधायक रामहेत सतीश यादव, मंत्री हेमसिंह भड़ाना, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पालिका अध्यक्ष तारामणि सतीश सिंघल, हरीश रोघा सहित भाजपा नेताओं का किशनगढ़ बास अभिभाषक संघ अध्यक्ष अजीत राव पूर्व अध्यक्ष अमित गौड़ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की ओर से यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा रथ पर सवार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित नेताओं व बाइक पर चल रहे कार्यकर्ताओं के हाथों में लहर लहर लहराता हुआ तिरंगा व भारत माता की जय घोष व देश भक्ति के गीतों ने लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जाग्रत किया।

खैरथल तिरंगा यात्रा पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री व पूर्व विधायक रामहेत यादव सहित भाजपा नेताओं ने विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी विभाजन के इतिहास को समझने और इससे सीखने का माध्यम है। इसमें युवा पीढ़ी को विभाजन काल की प्रतिकूलताओं की जानकारी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि असंख्य देश भक्तों के सर्वोच्च बलिदान के बाद हमें आजादी मिली हमें ऐसे महान देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना बहुत जरूरी है। यादव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान आमजन की सहभागिता के साथ प्रदेशभर में आयोजित किया जा रहा है जो प्रगतिशील भारत, देश की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा झण्डा लगाकर राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए कहा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने खैरथल को ग्रेटर खैरथल बनाने की बात कही साथ ही केंद्रीय फंड से खैरथल से शेखपुर अहीर सड़क निर्माण जो की खैरथल से आरंभ होकर बघेरी कलां, माचरौली, दौलतपुर, बीबीरानी, जलालपुर, जोड़िया, भिनोलिया, शेखपुर अहीर तक 41 किलोमीटर की सड़क 61.5 करोड़ रुपए तथा शेरपुर से गेलपुर सड़क निर्माण जो की शेरपुर से आरंभ होकर जोड़िया, भोकर, गेलपुर तक 10 किलोमीटर की सड़क 17.5 करोड रुपए में बनाने की घोषणा की। उन्होंने दिल्ली से बांद्रा जाने वाली ट्रेन बांद्रा टर्मिनस की खैरथल में ठहराव की घोषणा की जिसके तहत बांद्रा टर्मिनस प्रात: 8:57 दिल्ली से चलकर प्रात: 10:57 पर खैरथल में रुक कर अपने गंतव्य बांद्रा को जाएगी।

■ बच्चों में शिक्षा के साथ राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना जरूरी : भूपेंद्र यादव

पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने कहा कि विभाजन हमारी देश की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ एक कभी न भुलाया जा सकने वाला त्रासद अध्याय है। इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हम उस समय की त्रासदी की मार्मिकता और भीषणता का अनुमान लगा सकते हैं।

इससे हमें और नयी पीढ़ी को यह जानकारी मिलती है कि आज हम जिस स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं, वह कितने संघर्षों से हमें हासिल हुई है और उसे हर तरह से सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है, जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किशनगढ़ बास व 21 गांव के लिए 77.53 करोड रुपए की पेयजल परियोजना की बजट घोषणा की गई जिसके तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया।

जान जोखिम में डालकर कल्याण भक्त कर रहे यात्रा

मालपुरा, (निसं)। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल डिग्गी कल्याणजी के दरबार में चल रहे 59 वें लक्खी मेले के चौथे दिन बुधवार को भारी अव्यवस्थाओं के चलते यात्रियों को जान जोखिम में डालकर यात्रा बसों में सफर करने की तस्वीरें सामने आई।

लक्खी मेले से पूर्व जिला कलेक्टर सोम्या झां की अध्यक्षता में जिला व उपखण्ड स्तरीय अधिकारीयों की ली गई बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को मेले की व्यवस्थाएं चाक चौबन्द रखे जाने के सख्त निर्देश दिये थे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने मेले में आने वाले यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के सभी इंतेजामात किये जाने की जानकारी दे जिला कलेक्टर को मेले के सफल आयोजन के लिए आश्वस्त किया था। लेकिन मेले के दौरान भारी अव्यवस्थाओं के चलते यात्रियों को जानजोखिम में डालकर यात्रा करने व दर्शनों के पश्चात गंतव्य स्थान पर जाने के लिए भी बसों की छतों पर बैठकर तो बसों की खिडकी व फाटक पर लटककर यात्रा करने पर विवश होते देखा गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ऑवरलोडिंग वाहनों पर सख्त कार्यवाही के दावे किये गये थे ।

उनकी भी पोल खुलकर सामने आई। वैशाली व टोंक डिपो के अधिकारीयों ने पांच दिवसीय मेले के दौरान 100 अतिरिक्त बसें लगाने की जानकारी दी थी लेकिन जमीनी स्तर पर आधी ही बसें यात्री भार उठाते देखी गई।

बसों के अभाव में मजबूरन यात्री बसों की छतों पर बैठकर तो बसों में भेड बकरी की तरह ठूंस-ठूंस कर व लटककर जान जोखिम में डाल सफर करने के लिए विवश देखे गये। जयपुर भीलवाडा व दूदू छाण स्टेट हाईवे सहित डिग्गी चौसला व अन्य मार्गों पर सडक के दोनों ओर जंगल सफाई नहीं होने व जगह-जगह गन्दगी के ढेर लगे होने से पैदल यात्रियों को बीच सडक पर बैठकर विश्राम करते देखा गया। मेले में बेरिकेटिंग तो लगाई गई लेकिन तैनाद पुलिस के अधिकारी व जवान पैदल यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को नजर अंदाज कर प्रतिबंधित मार्ग में दुपहिया व चौपहिया वाहनों को प्रवेश देने से कल्याण जी के यात्रियों को खासा परेशान होना पडा।

मंदिर के बाहर व बाजार में लगाई गई रेलिंग में मालिक विहिन पशुओं के घुमने व यात्रीयों को क्षति पहुचाने जैसे भी नजारे सामने आये। तमाम अव्यवस्थाओं से जानकर भी अंजान बना मेला प्रशासन ।प्रशासन की यह लापरवाही व अव्यवस्था यात्रीयों के लिए बन सकती है कभी बडी मुसीबत व दुर्घटना का कारण। मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी इस बार मेले में यात्रीयों की सुविधा व सुरक्षा के लिए माकुल इतेजाम नही किये जाने से कल्याण भक्तों में ट्रस्ट के प्रति भी गहरा आक्रोष देखा गया।

राशिफल गुरूवार 15 अगस्त, 2024

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2081, ज्येष्ठ नक्षत्र दिन 12:53 तक, वैधृति योग दिन 2:58 तक, गर करण दिन 10:27 तक, चन्द्रमा दिन 12:53 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग दिन 12:53 तक है। आज भद्रा रात्रि 10:03 से आरम्भ होगी। आज वैधृति पूण्यं है और पारसी नव वर्ष प्रारम्भ होगा। आज नवरोज है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:39 तक, चर 10:54 से 12:31 तक, लाभ-अमृत 12:31 से 3:46 तक, शुभ 5:23 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:02, सूर्यास्त 7:00

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आज मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

सिंह
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

धनु
घर-परिवार कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परेशानियों से राहत मिलेगी।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुराने मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। परिवार में धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मकर
आर्थिक/वित्तिय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। अनावश्यक धन खर्च होगा।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।